

समाहरणालय मधेपुरा।

जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5518/खाद्य दिनांक 06.09.2016 द्वारा माह-सितम्बर,2016 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 में दिए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी० पी० एल०,अन्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को 2.50 (दो लीटर पाँच सौ मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल,अन्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार 1.250 (एक लीटर दो सौ पचास मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों को सूची के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक टेला भण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5518/खाद्य दिनांक-06.09.2016 द्वारा माह सितम्बर,2016 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावृत्ति किया जाता है :-

क्र०	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह-अगस्त,16 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परि० की सं०	उपावृत्ति किरासन तेल की मात्रा (ली में) ज०वि०प्र०वि/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावृत्ति किरासन तेल की मात्रा (ली०में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	47959	ज०वि०प्र०-119897.500 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल-124397.500	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	109897.500 14500.000 कुल- 124397.500
02	नगर परिषद, मधेपुरा	45031	10712	ज०वि०प्र०-13390.000 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्था 2368.000 कुल- 34508.000	1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 34508.000
03	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	33067	ज०वि०प्र०- 82667.500 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 कुल- 88017.500	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 88017.500
04	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28606	ज०वि०प्र०-71515.000	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 71515.000
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	20003	ज०वि०प्र०-50007.500	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 50007.500

06	घैलाढ़ प्रखण्ड	73129	22174	ज०वि०प्र०- 55435.000 हॉकर (6X750) <u>4500.000</u> कुल- 59935.000	1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 59935.000
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43535	ज०वि०प्र०-108837.500 सरकारी संस्था- <u>50.000</u> कुल-108887.500	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2 मे० जय बजरंग एजेन्सी, कुमारखंड 3. मे० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	83387.500 22000.000 3500.000 कुल- 108887.500
08	मुरलीगंज नगर पं०	222936	6673	ज०वि०प्र०-8341.250 हॉकर (20X750) <u>15000.000</u> कुल- 23341.250	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज	कुल- 23341.250
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52270	ज०वि०प्र०-130675.000 हॉकर (1X750) <u>750.000</u> कुल-131425.000	1.मे० जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड।	कुल:-131425.000
10	उदाकिशुनगंज प्रखंड	136937	38060	ज०वि०प्र०- 95150.000 हॉकर (16X750) <u>12000.00</u> सरकारी संस्था- <u>150.000</u> कुल- 107300.000	1.मे०चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 107300.000
11	ग्वालपाड़ा	95295	24844	ज०वि०प्र०-62110.000 हॉकर (4X750) <u>3000.000</u> कुल-65110.00	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 65110.000
12	बिहारीगंज	101655	29790	ज०वि०प्र०-74475.000 हॉकर (29X750) <u>21750.00</u> कुल- 96225.000	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 96225.000
13	आलमनगर	129226	38483	ज०वि०प्र०-96207.500 हॉकर (7X750) <u>5250.000</u> कुल- 101457.500	1.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल-101457.500
14	चौसा प्रखंड	116471	32037	ज०वि०प्र०-80092.500 हॉकर (2X750) <u>1500.000</u> कुल- 81592.500	1.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 81592.500
15	पुरैनी प्रखंड	77792	21140	ज०वि०प्र०-52850.000 हॉकर (2X750) <u>1500.000</u> कुल-54350.000	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	35142.500 19207.500 कुल- 54350.000
कुल योग:-		1526646	449353	1198069.250		1198069.250

2. इस प्रकार जिले में वितरण हेतु आवंटित-100 टैंकर(100X12000)=1200000.000लीटर+ माह अगस्त,2016 तक वितरण के पश्चात् थोक किरासन तेल विक्रेता के भंडार में उपलब्ध अवशेष मात्रा में से समायोजित मात्रा 10400.000लीटर को मिलाकर (1200000.000+10400.000)=1210400.000 लीटर किरासन तेल को प्रखंडवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।
3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थोक किरासन तेल विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करें।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4550 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपावंटित किया जाता है:-

1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
2. अल्प संख्यक छात्रावास, मधेपुरा -194 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
3. राजकीय कल्याण छात्रावास, टी0पी0 कॉलेज, मधेपुरा-174 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
4. 'आवा0अनु0जाति वि0भोकराहा(स्थानान्तरित, मुरलीगंज)-50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।
5. व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा -900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
5. उप कारा उदाकिशुनगंज -150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
6. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा -850 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

योग:- 2568 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अल्लसंख्यक छात्रावास/राजकीय कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा मधेपुरा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु आवंटित तेल किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा, सुदूरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा, उप कारा, उदाकिशुनगंज को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5518/खाद्य दिनांक-06.09.2016 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संचारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1871, दिनांक-13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थोक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफलोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हें ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाईल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता (वरीय पदाधिकारी आपूर्ति) को देंगे और इसके पश्चात थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचकर उसका भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकार के निदेश के आलोक में पंचायतवार रोस्टर तैयार करेंगे और रोस्टर के अनुसार ही थोक विक्रेता जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को

